संख्या-21/2023/001-430/60-1-2023

प्रेषक,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 26 अप्रैल, 2023**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-49 राजस्व पक्ष में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-61-62/निदे0म0क0/लेखा-बजट-वि0स्वी0/2023-24, दिनांक 12.04.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-13-संस्थानों/गृहों का संचालन के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 21,25,00,000/- **(**रुपये इक्कीस करोड़ पच्चीस लाख मात्र) के सापेक्ष रू0 21,25,00,000/- **(**रुपये इक्कीस करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का निवर्तन इस शर्त के साथ किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में समस्त व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित प्राविधानों/उपबन्धों के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा निर्धारित नियमों/आदेशों के अनुसार एवं समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं है, जिन मामलों में उ0प्र0, बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाए।

(5) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस/16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	कुल बज़ट धनराशि	स्वीकृत धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	01 (वेतन)	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	02 (मजदूरी)	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	03 (मंहगाई भत्ता)	4,50,00,000 रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र	4,50,00,000 रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	04 (यात्रा व्यय)	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	05 (स्थानान्तरण यात्रा व्यय)	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	06 (अन्य भत्ते)	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	07 (मानदेय)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	08 (कार्यालय व्यय)	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	09 (विद्युत देय)	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	10 (जलकर / जल प्रभार)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	13 (टेलीफोन पर व्यय)	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का	16 (व्यावसायिक तथा विशेष	5,00,000 रुपये पांच लाख	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र

http://shasanadesh.up.gov.in

	संचालन)	सेवाओं के लिए भुगतान)	मात्र	
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	17 (किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व)	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	29 (अनुरक्षण)	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	39 (औषधि तथा रसायन)	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	41 (भोजन व्यय)	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	42 (अन्य व्यय)	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति)	75,00,000 रुपये पचहत्तर लाख मात्र	75,00,000 रुपये पचहत्तर लाख मात्र
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	44 (प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	45 (अवकाश यात्रा व्यय)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	49 (चिकित्सा व्यय)	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	51 (वर्दी व्यय)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र	50,000 रुपये पचास हजार मात्र
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	55 (मकान किराया भत्ता)	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र
049	2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)	58 (आउट सोर्सिग सेवाओं हेतु भुगतान)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र
	कुल			**21,25,00,000 (रुपये इक्कीस करोड़ पच्चीस लाख मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
उप सचिव

संख्या-21/2023/001-430/60-1-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।